# परिवार न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश ,.....के समक्ष

### वैवाहिक वाद संख्या: - वर्ष 202...

## विषय: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक़ की याचिका

	, उम्र	वर्ष, पुत्री/पत्नी	,
निवासी	,		,
आधार नंबरमो	बाइल नंबर:	+91	
			याचिकाकर्ता संख्या 1
	उम्र	वर्ष, पुत्र	,
निवासी	·····,	, <b>3</b>	,
वर्तमान पता		, आधार नंबर .	,
मोबाइल नंबर: +91			
			याचिकाकर्ता संख्या 2
संयुक्त याचिका हिंदू विवाह उ	अधिनियम, 1	955 की धारा 13B	के अंतर्गत
हम, उपरोक्त नामित याचिकाक	र्ग्ता, निम्नलिरि	वेत तथ्यों को प्रस्तुत	करते हैं:
1. हम दोनों हिंदू धर्म के अनुयार	यी हैं और हिंद्	दू विवाह अधिनियम	द्वारा शासित हैं।
2. हमारा विवाह दिनांक		को	(स्थान) पर संपन्न
हआ था।			

- 3. यह विवाह पंजीयक कार्यालय ...... में पंजीकृत किया गया था (पंजीकरण संख्या ......, दिनांक .....)
- 4. विवाह के उपरांत हम पति-पत्नी के रूप में एक साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे।
- 5. हमारे बीच प्रारंभ से ही आपसी मतभेद उत्पन्न हो गए और हम एक-दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो गए।
- 6. कई प्रयासों के बावजूद हमारा समझौता नहीं हो सका और हमने दिनांक ...... को अलग रहने का निर्णय लिया।
- 7. हमारे रिश्तेदारों एवं मित्रों ने भी समझौते की कोशिश की, परंतु कोई समाधान नहीं निकला।
- 8. इस वैवाहिक संबंध से हमारा कोई संतान नहीं है। (यदि संतान हो तो विवरण प्रदान करें)।
- 9. याचिकाकर्ताओं के बीच कोई मिलीभगत (Collusion) नहीं है।
- 10. सभी सुलह प्रयास विफल हो चुके हैं और अब कोई पुनर्मिलन की संभावना नहीं है।
- 11. हम दिनांक ...... से अलग रह रहे हैं और तब से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है।
- 12. हमने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तलाक़ लेने का निर्णय लिया है।

#### आपसी समझौते की शर्तें

- 1. दोनों पक्षकारों के बीच कोई दावा, प्रतिदावा या बकाया विवादित मामला नहीं बचा है।
- 2. तलाक़ के बाद, दोनों पक्षकारों को एक-दूसरे पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा, चाहे वह नकद, गहने, उपहार, संपत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हो।
- 3. तलाक़ के उपरांत, दोनों पक्षकार एक-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
- 4. तलाक़ के बाद दोनों पक्ष अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 5. वर्तमान में किसी भी न्यायालय में कोई अन्य मुकदमा या शिकायत लंबित नहीं है।

<ul><li>6. यह सहमित किसी भी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के बिना दी गई</li><li>है।</li></ul>			
7. उपहारों के आदान-प्रदान का समझौता दिनांक//202 को संपन्न हुआ था, जिसकी प्रति याचिका के साथ संलग्न की गई है।			
8. हमारा वैवाहिक घर स्थित है, और हम से अलग रह रहे हैं।			
9. इस न्यायालय को इस तलाक़ विलेख को मान्यता देने एवं विवाह को विधिवत समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है।			
अतः प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के अंतर्गत हमारी विवाह समाप्ति हेतु तलाक़ की डिक्री प्रदान करे।			
दिनांक://202			
याचिकाकर्ता संख्या 1			
(हस्ताक्षर)			
याचिकाकर्ता संख्या 2			
(हस्ताक्षर)			

#### हलफनामा

परिवार न्यायालय,
वैवाहिक आवेदन संख्या: - वर्ष 20
याचिकाकर्ता संख्या 1 बनाम याचिकाकर्ता संख्या 2
हलफनामा
हम, उपरोक्त नामित हलफनामाकर्ता, शपथपूर्वक निम्नलिखित बातें स्वीकार करते हैं:
1. हम हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वैध रूप से विवाहित पति-पत्नी हैं।
2. हम इस तलाक़ याचिका में उल्लिखित सभी तथ्यों से अवगत हैं और इन्हें सत्य मानते हैं।
3. याचिका में दिए गए सभी तथ्य सत्य हैं और इनमें कुछ भी छिपाया या गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
प्रमाणन (Verification)
हम, याचिकाकर्ता संख्या 1 और याचिकाकर्ता संख्या 2, यह सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त बिंदु हमारे व्यक्तिगत ज्ञान एवं कानूनी परामर्श के आधार पर सत्य हैं। इस हलफनामे में कोई भी तथ्य झूठा या भ्रामक नहीं है।
तिथि: स्थान:

याचिकाकर्ता संख्या 1
(हस्ताक्षर)
याचिकाकर्ता संख्या 2
(हस्ताक्षर)